न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 35/22 (वि.प्रा.पत्र)

GCMS NO. :- 2022/63

1. श्रीमती भंवर कुंवर पत्नी श्री किशनसिंह शक्तावत, जाति राजपुत आयु–वयस्क, तहसील कानोड जिला उदयपुर

............प्रार्थी

बनाम्

1. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड़ जिला उदयपुर (राज0)

..........विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक 13.08.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत् तहसीलदार कानोड के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अनगोरा पटवार हल्का मोतिदा, की जमाबंदी सम्वत् 2078–81 में खाता संख्या 60 खसरा न. 48, 49 कुल रकवा 1.08 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदार भंवर कुवर पत्नी किशनसिंह शक्तावत जाति राजपुत के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा भू प्रवंधन विभाग द्वारा नवीन बंदोबस्त के बाद राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि होने से उसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
2. प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट मय अनुशंषा पेश करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। तहसीलदार कानोड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इस प्रकार हैं।

   I. यह हैं कि वन्दोवस्त से पूर्व भूमि राजस्व रिकॉर्ड ग्राम अनगोरा पटवार हल्का मोतीदा की जमाबन्दी 2051–54 में खाता संख्या 54, 79 खसरा न. 2/23, 2/32 रकवा 5–00, 5–00 भुरा पिता गोपा, वरदीबाई बेवा कालु रावत सा. देह खातेदार दर्ज हैं।

   II. नवीन सेटलमेंट जमाबंदी [illegible] में खाता संख्या 54, 79 खसरा नम्बर 35, 48, 49 रकवा 1.08 [illegible] गोपा हिस्सा पूर्ण जाति रावत सा. देह खातेदार, भंवर [illegible] पत्नी किशनसिंह शक्तावत जाति राजपुत सा. खातेदार [illegible]

   III. वर्तमान में खाता संख्या 54 खसरा नम्बर 35 रकवा 1.08 हैक्टेयर में भंवर कुवर पत्नी किशनसिंह जाति राजपुत व खाता संख्या 79 खसरा नम्बर 48, 49 रकवा 1.08 हैक्टेयर भुरा पिता गोपा रावत काविज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:56:30 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

IV. अतः राजस्व रिकॉर्ड एवं नामान्तरण के अवलोकन के पश्चातज आराजी नम्बर 35 में रकब 1.08 हैक्टेयर में भुरा पिता गोपा जाति रावत के बजाय भंवर कुंवर पत्नी किशनसिंह शक्तावत जाति राजपुत आराजी न. 48, 49 रकबा 1.08 हैक्टेयर भंवर कुंवर पत्नी किशनसिंह शक्तावत जाति राजपुत के बजाय भुरा पिता गोपा जाति रावत शुद्धि की अनुशंषा की जाती हैं।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के कथनानुसार राजस्व ग्राम अनगोरा पटवार मण्डल मोतीदा की जमाबन्दी 2051–54 में खाता संख्या 54, 79 खसरा न. 2/23, 2/32 रकबा 5–00, 5–00 भुरा पिता गोपा, बरदीबाई बेवा कालु रावत सा. देह खातेदार दर्ज हैं। जबकि नवीन सेटलमेंट जमाबंदी रिकॉर्ड संवत 2078–81 में खाता संख्या 54, 79 खसरा नम्बर 35, 48, 49 रकबा 1.08, 1.08 हैक्टेयर भुरा पुत्र गोपा हिस्सा पूर्ण जाति रावत सा. देह खातेदार, भंवर कुवंर पत्नी किशनसिंह शक्तावत जाति राजपुत सा. खातेदार दर्ज हैं। नवीन सेटलमेंट में कब्जे अनुसार नाम दर्ज नहीं होने से उसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा पेश रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया गया की वर्तमान में खाता संख्या 54 खसरा नम्बर 35 रकबा 1.08 हैक्टेयर में भंवर कुवर पत्नी किशनसिंह जाति राजपुत व खाता संख्या 79 खसरा नम्बर 48, 49 रकबा 1.08 हैक्टेयर भुरा पिता गोपा रावत काबिज होना बताया। प्रकरण में भुरा पिता गोपा रावत द्वारा संशोधन हेतु अपने सहमति देने से मना कर दिया गया। अतः उक्त प्रकरण इस प्रार्थना पत्र में पोषणीय नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी चाहे तो अन्य वाद के जरीये वाद प्रस्तुत कर न्यायालय से दाद प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:56:30 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को खुले ईजलास सुनाया गया।

CamScanner